

CGHS / ECHS Medical Reimbursement Claim Pack

दस्तावेज प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

पेंशनभोगी या सेवारत लाभार्थी के लिए CGHS या ECHS चिकित्सा-प्रतिपूर्ति दावा — उपचार को स्वीकृत दर-सूची से मिलाना, रेफरल/अनुमति व मदवार बिल जुटाना, और दावा-फॉर्म तैयार करना — तथा राशि अस्वीकृत होने पर प्रस्तुतीकरण, यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

सही CGHS/ECHS फॉर्म व प्रक्रिया, रेफरल-आवश्यकता व दर-सूची मिलान सहित प्रतिपूर्ति-दावा (व अस्वीकृति-प्रस्तुतीकरण) तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

फॉर्म-पहचान, दर-सूची मिलान व संकलित बिल-सूची का उपयोग CGHS/ECHS प्रतिपूर्ति दावा जमा करने, और राशि अस्वीकृत होने पर तैयार प्रस्तुतीकरण दाखिल करने हेतु करें।

यह किसे दिया जाता है

CGHS वेलनेस केंद्र / अतिरिक्त निदेशक, या ECHS पॉलीक्लिनिक / क्षेत्रीय केंद्र, जो प्रतिपूर्ति संसाधित करता है।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

दावा-फॉर्म रेफरल/अनुमति, मदवार बिल व डिस्चार्ज सारांश सहित जमा करें; अस्वीकृत राशि हेतु आपात या दर-औचित्य सहित प्रस्तुतीकरण जमा करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

विवादित अस्वीकृति हेतु भूतपूर्व-सैनिक/पेंशनभोगी-कल्याण सलाहकार ; सामान्य रेफर-किया दावा हेतु पेशेवर आवश्यक नहीं।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

छूटा रेफरल/पूर्व-अनुमति या गैर-empanelled अस्पताल अस्वीकृति लाता है, यद्यपि वास्तविक आपात अपवाद है; CGHS दर-सूची कई मदों को सीमित करती है □ CGHS/ECHS कार्यालय से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।